भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 902

जिसका उत्तर 07 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

कोयला खनन के लिए नए क्षेत्र

902. श्रीमती वीणा देवीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और कोयला आयात कम करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद हुई कोयला खदानों का ब्यौरा क्या है और आगामी तीन वर्षों के दौरान निष्कर्षण कार्य पूरा होने के बाद किन-किन कोयला खदानों के बंद होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने खनन के लिए नए क्षेत्र खोजने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): जी हां। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति से पूरी की जाती है। सरकार का ध्यान कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और देश में कोयले के गैर-जरूरी आयात को समाप्त करने पर है। वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14.77% बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान जनवरी 2024 तक घरेलू कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में लगभग 12.11% तक बढ़ गया है।

देश में **वित्त वर्ष 2013-14 में 566 मि.ट. से वित्त वर्ष 2022-23 में 893 मि.ट.** तक समग्र कोयला उत्पादन में **5.2% की सीएजीआर** के साथ एक बड़ी छलांग आई है।

कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/निकासी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम ऑफर पर 50% की छूट) दिया गया है।

vi. वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जिसमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल शामिल है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं।

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सभी आवश्यक संसाधनों जैसे पर्यावरण मंजूरी/वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)/साइलो के जरिए मशीनीकृत लोडिंग जैसी निकासी अवसंरचनाओं, रेल परियोजनाओं आदि को पूरा करने हेतु पहचान कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। सीआईएल खानों (ब्राउनफील्ड परियोजनाओं) के

विस्तार, नई खानों (ग्रीनफील्ड परियोजनाओं) को खोलने, भूमिगत (यूजी) और ओपनकास्ट (ओसी) अपनी दोनों खानों के मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से अपने कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अपनी यूजी खानों में, जहां भी व्यवहार्य हो, सीआईएल मुख्य रूप से सतत खनिकों (सीएम) के साथ मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज (एमपीटी) को अपना रही है। सीआईएल ने हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। अपनी ओसी खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही अपने उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर, डंपर और सरफेस माइनर्स में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।

ii. नई परियोजनाओं को स्थापित करने तथा मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकासित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

कोयला आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय:

i. उन मामलों में जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता के 90% (गैर-तटीय) तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 70% (तटीय विद्युत संयंत्र) तक कम कर दिया गया था, वहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कोयले की अधिक आपूर्ति होगी, जिससे आयात निर्भरता कम हो जाएगी।

ii. शक्ति नीति के पैरा ख (viii) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत, पावर एक्सचेंजों में किसी भी उत्पाद के माध्यम से उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत की बिक्री हेतु अल्पावधि के लिए या दीप पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में कोयला लिंकेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में शुरू की गई एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के तहत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए पेश किए गए कोयले के साथ-साथ गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध

कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयातों पर निर्भरता कम होगी।

iv. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाह के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। अब तक आईएमसी की ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देशों पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रैक कर सके। कोयले की और अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान परित्यक्त/बंद/समाप्त की गई सीआईएल कोयला खानों का विवरण नीचे दिया गया है:

सीआईएल की सहायक कंपनियां	**खान का नाम**
ईसीएल	कालीपहाड़ी ओसी पैच ए
	न्यू केंडा
बीसीसीएल	बेरा
	दामागोरिया
	केंदुआडीह
	केबी 10/12 गड्ढे
	सालानपुर
	भौंरा (एन)
डब्ल्यूसीएल	शोभापुर
	घोरावारी/झरना
	बरकुही ओसी
	भरत (घोरावारी-2)
एसईसीएल	पिनौरा
	महामाया
	बिश्रामपुर
	महान
	महान-II

	कटकोना 3 एवं 4
एमसीएल	ओरिएंट-3
एनईसी	टिपोंग
	तिरप

कोयला निष्कर्षण कार्य पूरा होने के बाद सीआईएल द्वारा बंद की जाने वाली कोयला खानें निम्नानुसार हैं:

सीआईएल की सहायक कंपनियां	**कोयला खानों के नाम**
डब्ल्यूसीएल	मोहन ओसी चरण-IV, छत्रपुर-II, उमरेर विस्तार ओसी (अंब नदी चरण-IV), जुनाद एक्सटेंशन ओसी, न्यू माजरी सेक्टर I ए और II ए एक्सटेंशन ओसी, पेंगंगा ओसी, मथानी यूजी (7 खानें)
एसईसीएल	उत्तरी चिरिमिरी यूजी, मालगा यूजी, पिनौरा यूजी (3 खानें)
एनसीएल	काकरी ओसीएम
एमसीएल	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार ओसीपी
सीसीएल	संगम ओसी, डकरा ओसी (2 खानें)

पिछले तीन वर्षों से भंडार समाप्त होने/ओसी खानों में परिवर्तित होने के कारण एससीसीएल की बंद कोयला खानें इस प्रकार हैं:

खान का नाम
आरके-8 इनक्लाइन
वीके-7 इनक्लाइन
जेवीआर ओसी
जीडीके 7 एलईपी
बीपीए ओसी II
मेडिपल्ली ओसी

चालू वर्ष और अगले तीन वर्षों में एससीसीएल द्वारा बंद की जाने वाली प्रस्तावित खानों की सूची:

केके1 इंक.
आरके1ए इंक.
जीके ओसीपी
आरकेपीओसी
जेके5ओसी
आरके-एनटी
आरके-6 इंक.
एसआरपी-1 इंक
आरजी ओसी-1 एक्सपेंशन। एवं चरण-II
एमएनजी ओसी

(घ) और (ड.): अन्वेषण के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट खनन के लिए नए क्षेत्र खोजना एक सतत प्रक्रिया है। कोयला और लिग्नाइट के नए क्षेत्रों की खोज के लिए कोयला मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के माध्यम से एक उप-योजना अर्थात् प्रमोशनल (क्षेत्रीय) अन्वेषण जारी है। इसके अलावा, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) भी कोयले सहित खनिजों का अन्वेषण और जांच करते हैं।

****